



कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्धक
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
हरि मन्दिर/पानी की टंकी के पीछे,
विवेक नगर, दिल्ली रोड़, सहारनपुर-247001 (उ0प्र0)



पत्रांक: /सं0प्र0सहारनपुर प्रदेशन-पत्र दिनांक :
सेवा में, पंजीकृत

महोदय/महोदया,

दिनांक को मेरठ में सम्पन्न हुई नीलामी में आप द्वारा शाकुम्भरी विहार योजना सहारनपुर में आवासीय भूखण्ड संख्या-.....की आरक्षित भूमि दर रु0/- के विरुद्ध बोली गयी उच्चतम बोली रु0/- प्रति वर्ग मीटर उप आवास आयुक्त, मेरठ जोन, मेरठ द्वारा स्वीकृत कर ली गयी है। नीलामी द्वारा प्रदिष्ट उक्त भूखण्ड का भुगतान उ0प्र0 गजट 16 जुलाई 2016 के प्रविधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरण के अनुसार अपेक्षित है :-

(क) भूखण्ड में निहित क्षेत्रफल वर्ग मी0 में	(ख) जमा टोकन धनराशि	रु0
1. भूखण्ड का कुल मूल्य	पंजीकरण धनराशि पर ब्याज	रु0
(ग) नकद क्रय पर भुगतान योग्य धनराशि	योग	रु0
(घ) आधा नकद/किस्त क्रय पद्धति पर भुगतान योग्य धनराशियों का विवरण निम्न प्रकार है:-	(च) विविध शुल्क:-	
1. प्रथम किस्त के साथ देय एक मुश्त धनराशि (कुल मूल्य का 50%)	1. विलेख निष्पादन शुल्क	रु0
2. शेष पंजीकरण धनराशि	2. जल संयोजन शुल्क	रु0
3. शेष धनराशि निकटतम रु0 100/- के पूर्णांक में	3. अग्रिम जल शुल्क 3 माह का	रु0
4. प्रथम मासिक किस्त की धनराशि जो दिनांक से लागू होगी	4. विज्ञापन शुल्क	रु0
5. योग (घ के अनुसार)	5. विविध शुल्कों का योग	रु0

नोट 1 :- उक्त धनराशि खाता संख्या-20337765287 इलाहाबाद बैंक, सहारनपुर में दिनांक तक जमा करनी होगी।

6. शेष 50% धनराशि जिस पर किश्तें बनायी गयी रु0
7. किश्तों की ब्याज दर
8. मासिक किश्तों की संख्या-..... (फैक्टर-.....)

नोट 2 :- उक्त धनराशि खाता संख्या-20337765276 इलाहाबाद बैंक, सहारनपुर में दिनांक तक जमा करनी होगी।

नोट 3 :- नियमानुसार जी0एस0टी0 की धनराशि अलग से जमा करनी होगी।

- नोट:-
1. किसी भी धनराशि के विलम्ब से भुगतान करने पर प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा।
 2. न्यायालय के आदेश से अथवा अन्य किन्हीं कारणों से उक्त मूल्य में परिवर्तन करना पड़ा तो तदानुसार आपको भुगतान करना होगा।
 3. भूखण्ड के कुल मूल्य का पूर्ण भुगतान दो माह (प्रदेशन पत्र की दिनांक से 60 दिन के अन्दर) के अन्दर करने पर भूखण्ड के कुल मूल्य पर पांच प्रतिशत की छूट नियमानुसार दी जायेगी।

उपरोक्त विवरण के अंश (ग) अथवा (घ) में अंकित धनराशि खाता संख्या-20337765287 इलाहाबाद बैंक देहरादून रोड़, सहारनपुर में एवं अंश (च) में अंकित धनराशि खाता सं0-20337765276 इलाहाबाद बैंक देहरादून रोड़, सहारनपुर में परिषद के खाते में उक्त निर्धारित तिथियों में अवश्य जमा करनी होगी। आवंटी यदि उक्त वांछित धनराशि जमा न करके इस पत्र के निर्गत होने की तिथि से तीन माह के अन्दर आवंटन निरस्त कराने की प्रार्थना करता है, तो पंजीकरण के लिए निर्धारित धनराशि रूपये/-

धनराशि जब करते हुए करते हुए आवंटन एवं पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। परन्तु जो आवंटी न तो निर्धारित तिथि तक धनराशि जमा करते हैं और न ही आवंटन पत्र के निर्गत होने की तिथि से तीन माह के अन्दर कोई लिखित सूचना देते हैं तो उन्हें एक पंजीकृत नोटिस आगामी 15 दिन के अन्दर प्रेषित किया जायेगा और यदि फिर भी आवंटी वांछित धनराशि नोटिस निर्गत होने के 15 दिन के अन्दर जमा नहीं करते हैं, तो निर्धारित वर्तमान पंजीकरण धनराशि **रु0** टोकन मनी जब करते हुए उनका पंजीकरण तथा प्रदेशन निरस्त कर दिया जायेगा एवं सम्पत्ति अन्य को आवंटित कर दी जायेगी।

सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु गत पृष्ठ पर अंकित समस्त धनराशियाँ नियत अवधि में एवं इस पृष्ठ पर अंकित सभी प्रपत्र दिनांक तक कार्यालय में जमा करने होंगे, अन्यथा रुपये प्रतिदिन की दर से सम्पूर्ण प्रपत्र जमा कराने की तिथि तक का विलम्ब शुल्क देय होगा। कब्जा पत्र निर्गत होने के 15 दिन के अन्दर भौतिक कब्जा न लेने पर रु0 प्रतिदिन की दर से कब्जा लेने की तिथि तक रख-रखाव शुल्क देय होगा। डाक विलम्ब हेतु परिषद उत्तरदायी नहीं होगी।

भवदीय

सम्पत्ति प्रबन्धक
कृते आवास आयुक्त

आवंटी द्वारा दिनांक तक इस कार्यालय में जमा किये जाने वाले प्रपत्रों की सूची।

1. **स्टाम्प पेपर** जिन पर अनुबन्ध/विक्रय विलेख टंकित कराकर आपको कार्यालय में प्रस्तुत करने हैं।
(क) रु0 100.00 का स्टाम्प पेपर मीटर बान्ड हेतु। (ख) शासनादेशानुसार निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर जिन पर अनुबन्ध/विक्रय विलेख तैयार किया जाना है। (ग) रु0 50/- का एक नग स्टाम्प पेपर मुसन्ना प्रति हेतु। (घ) स्टाम्प पेपर के तीन गुणा वाटरमार्क पेपर।
2. राजपत्रित अधिकारी से निम्न प्रारूप न0-2 के अनुसार प्रमाणित फोटो एवं हस्ताक्षर दो प्रतियों में प्रस्तुत करें।
3. रु0 10/- के नान-जूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर मजिस्ट्रेट/सब जज/नोटेरी से प्रमाणित शपथ पत्र। (जोकि प्रारूप सं0-1 के अनुसार बनना है।)
4. अनुबन्ध/सेलडीड हेतु सम्बन्धित खण्ड कार्यालय से साईट एवं बिल्डिंग प्लान की चार-चार प्रतियाँ प्राप्त कर कार्यालय में प्रस्तुत करें।
5. देय धनराशियों के विरुद्ध जमा धनराशि का बैंक प्रमाण पत्र व रसीद मूल रूप में प्रस्तुत करें।
6. स्वयं तथा दो गवाहों के चार-चार नग पासपोर्ट साईज फोटो एवं आई0डी0 की 03-03 नग छायाप्रतियाँ प्रस्तुत करें।

कालम संख्या-3 के अनुसार शपथ पत्र का प्रारूप निम्न प्रकार है :-

- मैं (नाम)..... पुत्र/पुत्री उम्र निदासी..... निम्न प्रकार शपथपूर्वक कहता/कहती हूँ।
1. मेरे/मेरी पत्नी/पति अथवा अव्यस्क बच्चों के नाम कोई भवन/भूखण्ड पूर्णतः या अंशतः **सहारनपुर** नगर में नहीं है और उ0प्र0 के किसी अन्य नगर में एक से अधिक आवासीय भवन/भूखण्ड नहीं हैं।
 2. मेरे/मेरी पत्नी/पति अथवा अव्यस्क बच्चों के पास नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम 1976 में निर्धारित सम्पत्ति से अधिक नहीं है और न होगी।
 3. मैं/मेरी पत्नी/पति अथवा अव्यस्क बच्चों द्वारा उ0प्र0 नगरीय सीमा मे केवल एक भवन/भूखण्ड के प्रदेशन हेतु आवेदन करता/करती हूँ।
 4. मेरी समस्त श्रोतों से रजिस्ट्रेशन से पूर्व **वित्तीय वर्ष 2020-21** को वार्षिक आय, जिसमें मेरे/मेरी पत्नी/पति या अन्य आश्रित सम्बन्धी एवं अव्यस्क बच्चों भी सम्मिलित हैं कुल रुपये से अधिक नहीं थी।
- मैं (नाम) घोषणा करता/करती हूँ कि उपयुक्त अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णित तथ्य मेरी जानकारी में सही है और कोई भी तथ्य छिपया नहीं गया है।

स्थान
दिनांक

शपथी

कालम संख्या-2 के अनुसार प्रमाणित फोटो व हस्ताक्षर का प्रारूप

योजना का नाम सम्पत्ति संख्या:-

आवंटी का नाम


पता :-

हस्ताक्षर

1.

2.

3.



जयपुर
निर्माण खण्ड-मेरठ-04